कार्यालय कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड
(म.प्र.शासन का उपक्रम)
CIN No. U40109MP2001SGC14882
ब्लॉक नं.-9, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर – 482008
फोन नं. : 0761-2702615
फैक्स नं.: 0761-2665805
ई मेल : mppgcl@mp.nic.in
वेबसाइट : www.mppgenco.nic.in

क्र: का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपॉजकंलि/चिकित्सा/2143 जबलपुर, दि. 10 JUN 2016

आदेश

उप सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश कमांक एफ 9-1/2016/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 13.05.2016, एफ 9-01/2015/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 30.03.2016 द्वारा कमशः राज्य के अंदर चिकित्सा हेतु अन्य चिकित्सालयों की मान्यता वृद्धि की गई है । पूर्व में जारी आदेश कमांक 3459 दिनांक 24.07.2015 के यथावत अनुक्रम में म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. के कार्मिकों एवं उनके आश्रित सदस्यों के जांच/उपचार हेतु निम्न तालिका में दर्शाए गए अन्य चिकित्सालयों को भी सशर्त बाध्य करते हुए, चिकित्सालयों के सम्मुख दर्शाई अवधि तक के लिए चिन्हित करती है : -

क्र.	चिकित्सालय का नाम	म.प्र.शासन का आदेश कमांक व दिनांक	मान्यता अवधि
1	बाम्बे हॉस्पिटल, रिंग रोड,इन्दौर (कैंसर)	एफ 9-1/2016/सत्रह/ मेडि-3 दिनांक 13.05.2016	31.03.2017
2	आशीष हॉस्पिटल, नेपियर टाउन, जबलपुर (हृदय रोग)	- तदैव -	31.03.2017
3	नेशनल हॉस्पिटल, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (कैंसर)	- तदैव -	31.03.2017
4	बाम्बे हॉस्पिटल, रिंग रोड,इन्दौर (हृदय रोग)	- तदैव -	31.03.2017
5	एस.एम.जे.ट्रस्ट, शैल्बी हॉस्पिटल, अहिंसा चौक, जबलपुर (हीमोडायलेसिस, न्यूरोसर्जरी, टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट)	एफ 9-1/2016/सत्रह/ मेडि-3 दिनांक 04.01.2016	03.01.2019
6	आदित्य सुपरस्पेशिलिटी एण्ड ट्रामा सेंटर, नेपियर टाउन, जबलपुर (न्यूरोसर्जरी, स्पाइन सर्जरी हेड इंज्यूरी टोटल हिप/नी रिप्लेसमेंट)	- तदैव -	30.03.2017
7	नेशनल हॉस्पिटल, 703, गोल बाजार जबलपुर (हृदय रोग, न्यूरोसर्जरी)	- तदैव -	03.01.2019
8	शल्य ज्वाइंट केयर सेंटर, भोपाल (टोटल हिप/नी, एल्बो, सोल्डर रिप्लेसमेंट)	- तदैव -	03.01.2019
9	हजेला हॉस्पिटल, गीतांजली कॉम्पलेक्स, कोटरा, सुल्तानाबाद, भोपाल (हिप, नी, रिप्लेसमेंट)	- तदैव -	03.01.2019
10	सिद्धांता रेडक्रास सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल, भोपाल (हृदय रोग)	एफ 9-1/2016/सत्रह/ मेडि-3 दिनांक 04.01.2016	03.01.2019
11	सी.एच.एल.हॉस्पिटल, ए.बी.रोड, एल.आई.सी. चौराहा, इन्दौर (हिप/नी रिप्लेसमेंट, टोटल शोल्डर ज्वाइंट, आंशिक हिप रिप्लेसमेंट)	- तदैव -	03.01.2019

12	ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल, 11/2 ओल्ड पलासिया, ग्रेट कैलाश रोड, इन्दौर (किडनी ट्रांसप्लांट)	- तदैव -	03.01.2019
13	राजस आई एण्ड रेटिना रिसर्च सेंटर, कंचन बाग, इन्दौर (आई एण्ड रेटिना)	- तदैव -	03.01.2019
14	मेट्रो हॉस्पिटल एण्ड कैंसर रिसर्च सेंटर, दमोह नाका, जबलपुर (कैंसर)	एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3 दिनांक 10.06.2014	02.03.2018

उपरोक्त चिकित्सा संस्थान में उपचार/जांच के लिए अन्य शर्तें निम्नानुसार होंगी : -

1- कंपनी अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों द्वारा उपरोक्त चिकित्सा संस्थान में जांच कराने के पूर्व, कम्पनी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी और निकटतम शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष/विशेषज्ञ द्वारा अनुशंसित किए जाने एवं मण्डल/कम्पनी से अनुमति प्राप्त करने पर, उपरोक्त संस्थान में उपचार प्राप्त किया जा सकता है ।

2- उपरोक्त चिकित्सा संस्थान के द्वारा कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से पंजीयन शुल्क नहीं लिया जावेगा ।

3- उपरोक्त चिकित्सा संस्थान में जांच/उपचार कराने पर चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, म.प्र.शासन द्वारा राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों में उपचार हेतु जो दरें निर्धारित की गई हैं, यदि उन दरों में प्रस्तावित अस्पताल की दरें कम हैं, तो उन दरों पर तथा यदि प्रस्तावित अस्पताल की दरें राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों की दरों से अधिक हैं, तो राज्य के अंदर के चिकित्सालय की दर से उपचार की दर सीमित करते हुए म.प्र.सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 के अनुसार केवल 75% की सीमा तक की पात्रता होगी ।

4- चिकित्सालय में म.प्र. शासन द्वारा जारी निर्धारित दरों की सूची लगाया जाना आवश्यक होगा तथा निर्धारित दरों पर ही रोगी का इलाज किया जावेगा ।

5- मुख्य चिकित्सा अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जांच कर सकेंगे ।

6- म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित जांच/इलाज की दर/पुनरीक्षित दर कंपनी के कर्मचारियों पर भी लागू होगी ।

7- किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर कंपनी के द्वारा उपरोक्त चिकित्सा संस्थान का चिन्हिकरण, किसी भी समय, बिना किसी पूर्व सूचना के, समाप्त किया जा सकेगा ।

आदेशानुसार,

(एम.एन. श्रीवास्तव)
मुख्य अभियंता
कार्या.कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर

क्र: का.नि.(मा.सं.एवं प्र.)/मप्रपॉजकंलि/चिकित्सा/२१५५ जबलपुर, दि. 10 JUN 2016

1- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (संचा.संधा.-उत्पा.)/(सिविल अभियांत्रिकी)/(ईंधन प्रबंधन)/(अभियांत्रिकी)/ (नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण)/(संचा.संधा.-जल विद्युत)/(सामग्री प्रबंधन)/(सी.एस.)/(परियोजना उत्पा.) म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर।

2- कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता (उत्पादन), संगांताविगृह/अताविगृह/सताविगृह/श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा।

3- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पॉ.मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर ।

4- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं.लि. जबलपुर ।

5- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वि.कं.लि. भोपाल ।

6- मुख्य महाप्रबंधक (मानव संसाधन), म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं.लि. इन्दौर ।
7- मुख्य महाप्रबंधक (कार्पोरेट अफेयर्स), म.प्र.पॉ.ट्रांस.कं.लि., जबलपुर ।
8- मुख्य वित्तीय अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
9- अतिरिक्त मुख्य अभियंता (उत्पादन-भंडार)/(सिविल-सर्वेक्षण एवं अनुसंधान, जल विद्युत संधारण)/(टीएचसी) म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर/सिरमौर।
10- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.पॉ.मैनेजमेंट कं.लि., जबलपुर ।
11- मुख्य चिकित्सा अधिकारी/वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि., चचाई/बिरसिंहपुर/सारनी/खण्डवा ।
12- मुख्य सुरक्षा अधिकारी, म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर ।
13- अधीक्षण अभियंता (उत्पादन)/गांधीसागर/पेंच/राजघाट/रानी अवंतीबाई सागर/ बाणसागर-दो/तीन/चार, मड़ीखेड़ा जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. गांधीसागर/तोतलाडोह/चंदेरी/बरगीनगर/शिवपुरी/सिलपरा/देवलोंद/झिन्ना, ।
14- अधीक्षण अभियंता (सिविल) सर्वे एवं अनु./जल वि.संधा.वृत्त), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर।
15- वरिष्ठ लेखाधिकारी, (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.), म.प्र.पॉवर जनरेटिंग कं.लि. जबलपुर ।
16- वरिष्ठ लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी (सी.ओ.जी.एण्ड एच.एस.)/संगांताविगृह/ अताविगृह/सताविगृह/श्री सिंगाजी ताप विद्युत परि./टोंस जल विद्युत गृह, म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. बिरसिंहपुर/चचाई/सारनी/खण्डवा/सिरमौर ।
17- निज सचिव/निज सहायक संबद्ध प्रबंध संचालक/संचालक (तकनीकी/वाणिज्य),म.प्र.पा.जन.कं.लि. जबलपुर ।

-कृपया म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों की जांच/उपचार के दौरान समुचित समन्वय हेतु नोडल अधिकारी/चिकित्सक को अधिकृत कर, तत्संबंध में कंपनी को तत्काल सूचित करें ।

(पी.के.चतुर्वेदी)
संयुक्त सचिव-एक
कार्या.कार्य.निदे.(मा.संसा.एवं प्रशा.)
म.प्र.पॉ.जन.कं.लि. जबलपुर

D:\SRC UNICODE\ MEDI\ ORD